International Journal of Education and Science Research Review
IJESRR
E-ISSN 2348-6457
Volume-10, Issue-1 Jan-Feb-2023
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

राजस्थान में सुशासन 2009 से 2018 तक की सरकारो के कार्यकाल का अध्ययन

राजेश कुमार मीना

सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान

श. कै. रि. सिंह राजकीय महाविद्यालय,सवाई माधोपुर

प्रोफेसर (डॉ)बी एल सैनी

निदेशक,हिंदी ग्रंथअकादमी झालाना डूंगरी,जयपुर,राजस्थान

सार

अच्छा अभिशासन या अच्छा शासन या सुशासन आज की मान्यता अनुसार एक नई अवधारणा है। यदि शब्द के अवधारणात्मक पहलू पर ध्यान केन्द्रित किया जाए तो यह ज्ञात होगा कि प्राचीन काल में अच्छा अभिशासन राम–राज्य की अवधारणा से अपनी पहचान स्थापित करता था। कौटिल्य ने सुशासन से संबंधित 10 सिद्धान्त अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताए हैं। परन्तु वर्तमान युग में संयुक्त राष्ट्र संघ, स्वैच्छिक संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा इस शब्द के व्यापक प्रयोग में नये सिरे से इसके अवधारणात्मक चिन्तन को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया। समय के बदलाव के साथ–साथ अभिशासन भी फैशन की तरह आज एक विशिष्ट तकनीकी शब्द के रूप में नवीन रूप प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।

प्रस्तावना

सुशासन या अच्छा शासन के दो शब्दों Good तथा Governance का रूपान्तरण है। Good शब्द की उत्पत्ति God से हुई है। Governance शब्द की उत्पत्ति Govern से हुई जिसका अर्थ है– निर्देशित आदेशित या नियमित करना विश्व बैंक के दस्तावेज (Governance & Development 1992) के अनुसार–षकिसी देश के विकास हेतु आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रयुक्त शक्ति का आशय शासन से है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोष में शासन से तात्पर्य नियंत्रण के तरीके या सरकार चलाने की पद्धति से लिया गया है।ष सुशासन की परिभाषा देते हुए वी. ए. पाई पनन्दीकर कहते हैं– किसी राष्ट्र राज्य के लोगों

विषय के रूप में लोक प्रशासन की विकास यात्रा को शांतिपूर्वक, व्यवस्थित, तार्किक, समद्ध तथा सहभागी जीवन प्रदान करने के लिए शासन की कार्य प्रणाली ही सुशासन है।जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में– षकिसी सरकार के अच्छेपन को देखने का एक तरीका यह है कि शासन चलाने में कितनी अच्छाइयों को काम में लेती है। रेने डिसकार्टस ने कहा है– सुशासित राज्य वही है जिसमें नियम भले ही कम हों, लेकिन उन पर अमल कठोरता से किया जाता हो। विश्व बैंक ने सुशासन के सन्दर्भ में दिशा–निर्देश बनाते हुए कहा है– अभिशासन वह है जिसमें राजनीतिक जवाबदेयता, स्वतंत्रता की उपलब्धता, कानूनों का पालन, नौकरशाही की जवाबदेयता, पारदर्शितापूर्वक सूचनाओं की उपलब्धता, प्रभावी तथा कुशन प्रशासन और सरकार एवं लोगों के मध्य सहयोग की भावना परिलक्षित होती हो।

सुशासन का संक्षिप्त अर्थ है– उत्कृष्ट शासन, अर्थात सुशासन, शासन के उस व्यवहार से संबंधित है जिसमें राज्य की मशीनरी व संस्थाएं अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करती है। इस उत्कृष्टता के अंतर्गत सामान्य तौर से विधि का शासन, राजनीतिक व प्रशासनिक जवाबदेयता, सहभागिता, स्वतंत्र न्यायपालिका, वैधानिक सरकार, सतत विकास, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावशीलता, अनुक्रियाशीलता, मानवाधिकार संरक्षण, समानता, समावेशन, मतैक्य व सभ्य समाज की भागीदारी इत्यादि को शामिल किया गया है। वास्तव में श्सुशासनश अच्छे समाज संचालन की एक कला है जो कि सरकार से व्यापक व बहुआयामी अवधारणा है तथा सर्वांगीण मानव विकास को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

सुशासन की अवधारणा को व्यवस्थित व प्रभावी रूप से लाने का श्रेय विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए संगठन (ओ.ई.सी.डी.) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनिस्को) जैसी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं को दिया जाता है। इसकी व्यवस्थित शुरूआत 1989 में विश्व बैंक द्वारा की गई और वर्तमान में अधिकांश देशों द्वारा इसे अपना लिया गया है। ये संस्थाएं विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए सुशासन के सूचकांकों को पैमाने के रूप में इस्तेमाल करती है। यही इसके प्रचार का प्रमुख कारण भी है।

1989 में विश्व बैंक ने सब–सहारा अफ्रीकी देशों के दस्तावेज में विकास कार्यक्रमों के बेहतर प्रबंधन और उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन में सुधार का पक्ष रखा, जिसे सुशासनकी संज्ञा दी गई। विश्व बैंक के भूतपूर्व सभापति कोनेबल ने सुशासन को परिभाषित करते हुए कहा कि ष्यह एक ऐसी लोक सेवा है जो दक्ष

है, एक ऐसा न्यायिक तंत्र है जो विश्वसनीय है, एक ऐसा प्रशासन है जो जनता के प्रति जवाबदेह है।उस समय सुशासन के लिए चार तत्व (1) लोक क्षेत्र प्रबंधन जवाबदेहिता, (2) विकास के लिए उपयुक्त कानूनी परिवेश सूचना (3) एवं पारदर्शिता (4) आवश्यक माने गए। 1992 में विश्व बैंक ने गवनेंस एंड डेवलपमेंट नामक प्रतिवेदन में सुशासन को सामाजिक व आर्थिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन हेतु सत्ता के प्रयोग से जोड़ा तथा इसमें राजनीतिक उत्तरदायित्व, बहुपक्षीय भागीदारी, विधि का शासन एवं मानवाधिकार संरक्षण, प्रशासनिक जवाबदेहिता, खुलापन एवं पारदर्शिता, वैचारिक स्वतन्त्रता एवं सूचना का अधिकार, प्रशासनिक दक्षता एवं प्रभावशीलता, सरकार व सभ्य समाज के मध्य रचनात्मक संबंध को शामिल करते हुए सुशासन के फलक को विकसित किया।

1997 में यू. एन. डी. पी. ने सुशासन को राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक तीन क्षेत्रों से संबंधित किया। राजनीतिक में विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण, निष्पक्ष निर्वाचन व भागीदारी; आर्थिक में संपत्ति का अधिकार, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक न्याय व समता; प्रशासनिक में मानवाधिकार संरक्षण, वंचित वर्ग का सशक्तिकरण, अनुक्रियाशीलता, दक्ष, मितव्ययी व प्रभावी सेवा आदि को सम्मिलित किया।

यूनेस्को ने सुशासन के अन्तर्गत जवाबदेयिता व पारदर्शिता, समता, लोकतंत्र तथा भागीदारी को शामिल किया है। ओ. ई. सी. डी. ने सुशासन के तहत सरकार की वैधानिकता, राजनीतिक व प्रशासनिक जवाबदेहिता, नीति निर्माण व सेवा प्रदान करने में सरकार की योग्यता, मानवाधिकार संरक्षण व विधि के शासन को सम्मिलित किया है।

विकासशील देशों में आर्थिक सुधार व अनुदान प्राप्त कार्यक्रमों की प्रारम्भिक असफलता ने ब्रेटनवुड्स संस्थाओं को इन देशों की शासन व्यवस्था के बारे में सोचने पर मजबूर किया और ये संस्थाएं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उदारीकरण व विकास के कार्यक्रम उसी स्थिति में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जबकि इन देशों में न सिर्फ शासन हो बल्कि अच्छा शासन हो, जो कि अनुक्रियाशील, उत्तरदायी, दक्ष व प्रभावी हो ।

अतः इन संस्थाओं ने सुशासन की अवधारणा को विकासशील देशों में स्थापित करने का संकल्पित प्रयास शुरू किया।

इस प्रकार सुशासन से आशय ऐसी सरकार है जो बनसाधारण के हितों की उचित समय पर प्रभावशाली ढंग से रक्षा कर सकें, साथ ही सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए कुशल सेवाएं नागरिकों को प्रदान कर सके। अभिशासन या सुशासन की अवधारणा मूलतः ई–शासन (E&Governance)के साथ घुली मिली हुई है जिसे आजकल स्मार्ट शासन (Smart Government) कहा जा रहा है।

जिसका अर्थ है–

नौकरशाही का आकार कम करना

प्रशासन में नैतिकता स्थापित करना

लोक सेवाओं में जवाबदेयता लाना

जनता के प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न करना

सरकारी नीतियों, निर्णयों, कार्यों तथा सेवाओं में पारदर्शिता लाना

ऐसा शासन जिसमें राजनीतिक जवाबदेयता हो, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था को लोगों द्वारा स्वीकारा जाए तथा राजनीति शक्ति के प्रयोग हेतु नियमित चुनाव हों। साथ ही शासन की प्रक्रियाओं में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पेशेवर समूहों की सहभागिता हो तथा संघ बनाने में स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त हो। साथ ही मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता, शोषण से बचाव तथा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका, विधि का शासन तथा सुव्यवस्थित संवैधानिक तंत्र हो । सेवाओं की गुणवत्ता, अकार्यकुशलता तथा विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग पर नियंत्रण हेतु सरकारी अधिकारियों एवं प्रशासनिक संगठनों के लिए नौकरशाही की जवाबदेयता एवं नियंत्रण में व्यवस्था निश्चित की जाए। इसमें प्रशासनिक खुलापन तथा पारदर्शिता सम्मिलित है। साथ ही सार्वजनिक नीतियों के निर्माण, निर्णयन, प्रबोधन तथा सरकारी निष्पादन के मूल्यांकन के सम्बन्ध में सूचना की स्वतंत्रता हो। इसमें सभ्य समाजों में कार्यरत विश्वविद्यालयों, पेशेवर निकाय तथा अन्य संगठनों द्वारा किया जाने वाला स्वतंत्र विश्लेषण भी सम्मिलित है। कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता की सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था हो। ऐसा धन के मूल्य तथा लागत प्रभावशीलता को जानने के लिए जरूरी है। प्रभावशीलता का दायरा वैश्विक उपलब्धियां तथा प्रशासनिक व्यवस्था के पंथ निरपेक्ष तथा

तार्किक निर्णयन के क्रम में प्रभावी हो । सभ्य समाज के संगठनों (NGO) तथा सरकार के मध्य सहयोग हो

सुशासन एवं लोकतंत्र

यद्यपि सुशासन की अवधारणा सर्वोत्तम व सर्वांगीण मानव विकास को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है किन्तु तृतीय विश्व के कुछ विद्वानों व राजनीतिज्ञों ने सुशासन की अवधारणा को विकसित देशों के षड्यन्त्र व नव–उपनिवेशवाद का एक उपकरण माना है। सुशासन एवं लोकतंत्र के मध्य गंभीर विरोधाभास की स्थिति बताई है। आलोचकों के अनुसार प्रभावी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि विकेन्द्रीकरण बढ़े और निर्णय के केन्द्र स्थानीय स्तर की ओर जाएँ; किन्तु सुशासन में निर्णय के केन्द्र स्थानीय स्तरों के बजाय अंतरराष्ट्रीय स्तरों की ओर बढ़ते हैं जो कि लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। जो लोकतंत्र, समानता की आधारशिला पर खड़ा होता है किन्तु सुशासन में विकसित व विकासशील देशों की असमान परिस्थितियों में निष्पादन के समान स्तर रखे जाते हैं जो कि तार्किक दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि निष्पादन स्तर स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय स्तर पर सर्वे जाएँ किन्तु सुशासन में इन मानकों का निर्धारण वैश्विक स्तर पर होता है और क्रियान्वयन स्थानीय पर। यह लोकतन्त्र के अनुरूप नहीं है। सुशासन की अवधारणा विश्व बैंक आई.एम.एफ., व यू. एन. डी. पी. जैसी संस्थाओं द्वारा लाई गई है, इसलिए विकासशील देशों के मूल्यांकन में विकसित देशों के मानकों को आदर्श के रूप में रखा गया है। अतः इसमें स्थानीय पारिस्थितिकी का अभाव पाया जाता है; जिसके बिना लोकतंत्र का स्वस्थ विकास संभव नहीं है।

विश्व बैंक, आई.एम.एफ. व ओ.ई.सी. डी. जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित सुशासन; दक्षता व मितव्ययता पर काफी स्तर तक बल देता है जिससे सरकार के सामाजिक उत्तरदायित्वों में काफी कमी आती है। जो लोकतंत्र के विकास के लिए घातक है। अतः लोकतंत्र के विकास की पूर्वापेक्षा व सुशासन की अवधारणा में आंतरिक विरोधाभास की स्थिति पायी जाती है।

सुशासन की अवधारणा को लागू करने की बाधाएँ

सुशासन की अवधारणा को लागू करने की मार्ग में अनेक बाधाएं है, जिन्हें क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता हैरू

(1) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुशासन को लागू करने की बाधाएं – विशेषकर विकासशील देशों में

(2) भारत में सुशासन के समक्ष बाधक तत्व या चुनौतियां

(1)अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुशासन के समक्ष बाधाएं

सुशासन की अवधारणा को लागू करने में अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, पारिस्थितिक व तकनीकी बाधाएँ है जैसे कि विकासशील देशों की शासन व प्रशासन व्यवस्था में उपयुक्त स्तर पर सहभागिता, पारदर्शिता व खुलेपन का अभाव है, जैसे–ईरान शासन व प्रशासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार व्याप्त है, जैसे– भारत व सोमालिया सभ्य समाज की संस्थाओं का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है और साथ ही इनमें संकीर्ण व नृजातीय आधार तथा उनके दुष्प्रभाव बने हुए हैं, जैसे– भारत में संप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गतिविधियां पर्यावरण व विकास के मुद्दों पर विकसित व विकासशील देशों में असहमतियां बनी हुई हैं जैसे– दोहा वार्ता । इन देशों में कानून व व्यवस्था की स्थितियां भयावह बनी हुई है, अतः सुशासन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा पाना संभव नहीं होता है; जैसे – अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईराक व सूडान । विकासशील देशों में निर्धनता की वजह से सुशासन जैसी अवधारणा को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है, जैसे– सूडान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया । कुछ देशों में लोकतंत्र की निरंतरता में कमी देखी गई है। अतः इसका सुशासन पर अनिवार्य रूप से दुष्प्रभाव पड़ा है, जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, फ़िज़ी एवं लीबिया । इन देशों में सुशासन के लिए आवश्यक कानूनी परिवेश देशों में आतंकवाद, नक्सलवाद माओवाद व साम्प्रदायिकता आदि के कारण सामाजिक अस्थिरता की स्थितियां बनी हुई हैं। साथ ही इन देशों में मानव संसाधनों की अत्यधिक कमियां व्यास है। अतः सुशासन को लागू करना एक कठिन कार्य है।

(2) भारत में सुशासन के समक्ष बाधाएं

(अ) नौकरशाही, भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही

प्रत्येक देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह मानवीय व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का भी सर्वोत्तम साधन है। सुशासन की स्थापना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह भी सत्य है कि बिना नौकरशाही के आज की प्रशासनिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। हबर्ट मॉरिसन के शब्दों में, "नौकरशाही संसदीय प्रजातन्त्र का मूल्य है ।

भारतीय प्रशासननिक व्यवस्था में भी नौकरशाही का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में नौकरशाही का अस्तित्व ब्रिटिश काल से ही बना हुआ है। ब्रिटिश काल में भारत में नौकरशाही की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों के निर्माण में सहयोग करना एवं सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन करना था। ब्रिटिश भारत में नौकरशाही ने विकासत्मक कार्यों के बजाय कानून व्यवस्था की स्थापना से अपने आपको जोड़ रखा था। चूंकि तत्कालीन समय में औपनिवेशिक सरकार का लक्ष्य औपनिवेशक सत्ता को बनाए रखना तथा उसकी शक्ति को प्रभावी बनाना था ।

अतः तत्कालीन भारतीय नौकरशाही विद्यमान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में यथास्थिति को बनाए रखने के समर्थन में थी, क्योंकि भारत का आर्थिक विकास ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुकूल नहीं था ।

वास्तव में भारत में उत्तरदायी शासन के पूर्व नौकरशाही निरंकुश शासन का एक अंग थी। उसके सदस्यों का सम्बन्ध विशेषाधिकारपूर्ण वर्गों से होता था। इनका उद्देश्य सेवावधि की सुरक्षा, सेवा निवृत्ति लाभ, अच्छा वेतन, वेतन वृद्धि, वार्षिक छुट्टी था। अतः इन सब लाभों के परिणामस्वरूप उनमें अभियान और दम्भ की भावना का विकास होना स्वाभाविक था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय नौकरशाही में इन तत्वों का लोप नहीं हुआ वरन् दिन व दिन यह प्रवृत्ति बढ़ती गई। इसका सबसे मुख्य कारण यह था कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही ने गलत प्रवृत्तियों को जन्म दिया था। जो स्वतंत्र भारत में भी बनी रही। इसके अतिरिक्त भारत–पाक विभाजन के बाद नौकरशाही की संख्या में अपार कमी आ गयी जिससे पहले से पद भ्रष्ट भारतीय नौकरशाहों को भी प्रशासन में सम्मिलित कर लिया गया। स्पष्टतः भारतीय नौकरशाही में भ्रष्टाचार की जड़ पहले से ही विद्यमान रह गई ।

वर्तमान में इस जड़ के द्वारा भ्रष्टाचार रूपी विशाल वृक्ष खड़ा हो गया है। जिसकी शाखाएँ प्रशासन में निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक फैली हुई है तथा भारतीय नौकरशाही भी इससे अछूती नहीं है।

यद्यपि भारतीय नौकरशाही को योग्यता के आधार पर संगठित किया गया है तथा उसे पारम्परिक कार्यों की अपेक्षा विकासात्मक कार्यों से जोड़ा गया है। जनता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से विकास के लिए प्रशासन को लोक कल्याणकारी बनाने का उत्तरदायित्व नौकरशाही को सौंपा गया है। परन्तु आज भारतीय नौकरशाही अपने उत्तरदायित्व से भटक गई है। वे बनता का अपने को सेवक न समझ कर स्वामी

समझती है। भारत में अनेक अधिकारियों का अंग्रेजी शासन काल में था । उनको दृष्टिकोण वहीं पुराने अफसराना ढंग का है जैसा लगता है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों के ऊपर हुकूमत करने के लिए इस पृथ्वीलोक पर भेजा है। अतः अफसरशाही की प्रवृत्ति ने भारतीय नौकरशाही में गहरी पैठ बना ली है।

भ्रष्टाचार भारतीय नौकरशाही का दूसरा नाम बन गया है। इसने प्रशासन की जड़ों को खोखला कर दिया है तथा सुशासन की अवधारणा को बहुत पीछे छोड़ दिया है। भारतीय नौकरशाह किसी कार्य को करने से पूर्व लोगों से रिश्वत लेने में विश्वास करते हैं। गाँवों की अशिक्षित जनता अपने छोटे–छोटे कार्यों के लिए पटवारी, ग्राम सेवक– तहसील कार्यालय के क्लर्कों तथा जिले के अधिकारियों की तरफ देखती है। कृषि के लिए खाद लेना हो या सहकारी बैंक से कर्ज या पटवारी से कोई पट्टा तो रिश्वत का सहारा लेना ही पड़ता है। यदि किसी असावधानी से पुलिस को इसकी जानकारी हो जाती है तो वह गरीब व्यक्ति फंसता है न कि भ्रष्ट अधिकारी ।

इसका परिणाम यह हुआ कि नौकरशाहों पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। एक समय था कि जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसंख्य अफसर ईमानदार होते थे और अपनी सीमित आय में गुजारा करते थे नागरिक सेवा ही उनका ध्येय था परन्तु आज वे और उनका परिवार छुट्टियाँ मनाने विदेश जाते हैं। उनके बच्चे उच्च विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा पत्नियाँ ऐसे सामाजिक संगठन चलाती है जिनमें सरकारी धन की हेराफेरी होती है। मार्च 2003 में देश भर के 48 भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध हुई छापे की कार्यवाही के दौरान सी.बी.आई. को डेढ़ करोड़ रुपये की नगदी व निवेश पत्र मिले। इसके अतिरिक्त सात करोड़ की संपत्ति, 41 लाख रुपये की प्राचीन काल की मूर्तियां भी प्राप्त हुई। इन भ्रष्ट अफसरों के भ्रष्टाचार के तमाम प्रत्यक्ष साक्ष्य होते हुए भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कानून इनके लिए बनाए ही नहीं गए हैं। इन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसा फौलादी ढाँचा बना लिया है कि राज्य की व्यवस्था की शक्ति भी उसे तोड़ नहीं पाती है। संचार के आधुनिक युग में भी हमारे सरकारी दफ्तरों में फाइलों को एक मेज से दूसरी मेज पर और ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर आने जाने में हफ्तों, महीनों और सालों का समय लग जाता है। देश में लगभग 150 सरकारी विभाग हैं और सचिव स्तर के 180 अधिकारी हैं। उनमें 50 की ही आवश्यकता लगभग 100 विभाग और 130 सचिव अवांछित है लेकिन फिर भी अपने पद पर बने हुए हैं। कुल मिलाकर लगभग 400 सचिवों, अतिरिक्त सचिवों, 25 मुख्य

सचिवों, 500 जिलाधीशों, 700 आई.पी.एस., आई.एफ.एस. और आई. आर. एस. अधिकारियों का देश पर पूरी तरह से नियंत्रण है। प्रत्येक योजना और कार्यक्रम पर उनका नियंत्रण है परन्तु किसी भी योजना और कार्यक्रम के लिए वह उत्तरदायी नहीं हैं तथा किसी भी योजना के अधूरेपन के विषय में उनसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। यह देश के करदाताओं की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है जिसे यह देश सहन नहीं कर सकता। सरकारी अफसरों का इतना बड़ा ढाँचा यदि इन योजनाओं की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो उनके होने न होने का क्या औचित्य हो सकता है।

हमारे देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का इतना अधिक पतन हो चुका है कि भ्रष्ट अधिकारी धन पहुँचाने की अपनी क्षमता के कारण प्रत्येक सरकार के मंत्रियों के चहेते बन जाते हैं तथा अपवाद स्वरूप यदि कोई अधिकारी ईमानदार है तो उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है।

1993 में एक रिपोर्ट में, उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञों, उच्च पदों पर आसीन नौकरशाहों और अपराधी तत्वों के बीच सांठगांठ का रहस्योद्घाटन हुआ था।

यह रिपोर्ट पूर्व गृह एवं रक्षा सचिव एन. एन. वोहरा ने तैयार की थी। इनमें नौकरशाहों और राजनेताओं के गठबंधन ने गलत प्रवृत्तियों को जन्म दिया है।

देश में चाहे तेलगी प्रकरण हो या भारतीय प्रबंधन संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (कैट) का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला, नौकरशाही की संलिप्तता ही उजागर होती है। कैट मामले के सूत्रधार रंजीत डान तथा तेलगी प्रकरण के तेलगी के बड़े–बड़े नेताओं और नौकरशाहों से सम्बन्ध उजागर हुए तथा बड़े–बड़े भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की भ्रष्ट छवि सामने आई थी। जिन्होंने इन भ्रष्ट नौकरशाहों और राजनेताओं के माध्यम से इतने बड़े महाघोटाले तथा विद्यार्थियों के भविष्य से खेलने वाले प्रकरण को अंजाम दिया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया । तेलगी प्रकरण के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुऐ विशेष सरकारी वकील ठाकरे एवं चिमलकर कंपनी के राजा ठाकरे ने कहा कि, ष्कुछ कबूलनामे और सबूत सामने आए तो शायद जनता कानून अपने हाथ में ले ले। यह लोक सेवकों द्वारा तंत्र का मखौल उड़ाने का विशिष्ट मामला है। अतः आज भारतीय नौकरशाही भ्रष्टाचार के सागर में आकंड डूब चुकी है। भारतीय नौकरशाही की प्रतिबद्धता संविधान एवं लोकतांत्रिक मर्यादा के प्रति न होकर भ्रष्ट व सिद्धांतविहीन राजनेताओं के प्रति हो गई है जिसे नौकरशाही का सैद्धांतिक एवं नैतिक पतन ही कहा जाएगा। उनमें लालफीताशाही और अनुत्तरदायी की भावना भी गहरी पैठ बना चुकी है।

International Journal of Education and Science Research Review
Volume-10, Issue-1 Jan-Feb-2023 E-ISSN 2348-6457 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

वर्तमान में मार्क्सवाद की यह धारणा सत्य प्रतीत होती है कि नौकरशाही राज्य रूपी पूँजीवादी संगठन का अनैतिक व अमानवीय हथियार है जिसका काम गरीबों की गर्दन दबाना तथा अमीरों के लिए सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना है।

नौकरशाह प्रत्येक वस्तुओं को छोटी छोटी गांठों से बांध देते है जिससे प्रत्येक समाधान है सम्मुख एक प्रश्नचिन्ह लग जाता है। इस सम्बन्ध में एक नौकरशाह एल. के. झा ने एक लेख श्लाल – फीताशाहीश में, अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है मेरा मूल्यांकन मेरे काम के परिणामों के आधार पर नहीं होता, परन्तु इस बात के आधार पर होता है कि मैंने नियमों का पालन किया अथवा नहीं। जानबूझ कर किये गये कार्यों को पहचानना आसान है, परन्तु उन कामों को जानना कठिन है जिनका सम्पादन नहीं हुआ है।

वास्तव में यह उदाहरण नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति का ही प्रतीक है जो लोकतंत्र के विनाश का कारण बनती जा रही है। यद्यपि पिछले कुछ समय में न्यायिक सक्रियता ने नौकरशाही को गतिशील एवं कर्त्तव्यनिष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिक निधाना शुरू कर दिया है परन्तु फिर भी यह न्यायपालिका के चाबुक खाने की अभ्यस्त सी हो चुकी है। जिसे राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में महत्वपूर्ण बाबा समझा जा रहा है। अतः आज नौकरशाही के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त की आवश्यकता है कि, चाहे आप कितने भी उच्च हों कानून आपसे भी ऊपर है।

इसके अतिरिक्त राजनीतिकों की इस सोच को भी बदलना होगा कि, ष्यदि आप हमारे साथी नहीं है तो, तो आप हमारे विरोधी है।ष

वास्तव में आधुनिक युग में नौकरशाही श्एक आवश्यक बुराई बन गई है। लोक प्रशासन में इसके योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हरि विष्णु कामथ ने इस सम्बन्ध में कहा है कि, ष्कोई देश कार्यकुशल लोक सेवाओं के अभाव में कवापि उन्नति नहीं कर सकता, चाहे वहाँ के मन्त्रीगण कितने ही देश प्रेमी क्यों न हो। ष आवश्यकता इस बात की है कि नौकरशाही को इस प्रकार नियंत्रित किया जाये कि वह श्सेवक ही बनी रहे, श्स्वामीश बनकर हावी न हो जाये। अतः इस सम्बन्ध में किसी ने सत्य ही कहा है कि, नौकरशाही अग्नि की भांति है जो सेवक के रूप में बहुमूल्य होती है किन्तु स्वामी के रूप में विध्वंसक हो जाती है।ष

राजस्थान राज्य में सुशासन

(राजस्थान का लोकतांत्रिक इतिहास, शासन का लक्ष्य, विभिन्न सरकारों में सुशासन, गहलोत सरकार एवं वसुन्धरा सरकार की सुशासन हेतु प्रवास, राजस्थान में सूचना का अधिकार, जनसुनवाई का अधिकार एवं ई–गवर्नेन्स की स्थिति) राजस्थान जो पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, 22 रियासतों के एकीकरण के परिणामस्वरूप निर्मित हुआ, आजादी के पूर्व राजस्थान एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित नहीं था। सभी रियासतों के पदक्रम, शासन प्रणालियां, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक पद्धतियां अलग–अलग थी।

राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांगे उठाई जाने लगी। विधानमंडल की स्थापना के संदर्भ में रियासतों की राजनीतिक गतिविधियां अत्यन्त सीमित मात्रा में थी। कुछ प्रगतिशील रियासतें ऐसी भी थी जहां के शासकों ने विधानमंडलों की स्थापना किसी न किसी रूप में कर दी थी। हालांकि इन विधानमंडलों का नाम, स्वरूप, आकार, अधिकार, कार्य– व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार के थे, लेकिन उनकी स्थापना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इस दिशा में सर्वप्रथम पहली बीकानेर राज्य ने अक्टूम्बर 1912 में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना करके की। 1913 में इस प्रतिनिधि सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ लेकिन यह सभा 1947 तक कोई विशेष वैधानिक सुधार नहीं कर सकी। 1939 में बांसवाड़ा राज्य परिषद् और 1941 में उदयपुर में मेवाड़ राज्य परिषद् तथा टोंक रियासत में नवाब ने मजलिस ए आम की स्थापना की। भरतपुर मेँ अक्टूम्बर 1943 में बृज प्रतिनिधि समिति की स्थापना की गई। जयपुर रियासत में 1945 में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया। जिसका पहला सदन धारा सभा तथा दूसरा सदन प्रतिनिधि सभा कहलाता था। इस विधानमंडल के आंशिक सदस्य निर्वाचित एवं आंशिक रूप से निर्वाचित होते थे। इस विधानमंडल की बैठकें सवाई मानसिंह टाउन हॉल में होती थी।

जोधपुर रियासत में मई 1941 में परामर्श समिति के रूप में प्रतिनिधि सभा का गठन किया। 1944 में वहां व्यवस्थापिका सभा की घोषणा की गई लेकिन जनता ने इस सभा का बहिष्कार कर दिया। झालावाड़ रियासत में 1947 में विधान निर्मात्री परिषद् गठित की गई। इस मामले में शाहपुरा भीलवाड़ा जैसी रियासत ने उल्लेखनीय कार्य किया युवा नरेश सुदर्शन देव फरवरी 1947 को राजगद्दी पर बैठे। सुदर्शन देव ने नरेश की पहली घोषणा की कि श्उत्तरदायी शासनश जनता को सौंपा जावे। एक विधान निर्मात्री सभा का गठन किया जिसमें प्रजामंडल के प्रतिनिधियों की भरमार थी। गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में रियासत का विधान तैयार किया गया। 14 अगस्त 1947 को नरेश सुदर्शन देव ने उत्तरदायी शासन की घोषणा कर जनता के प्रतिनिधि गोकुल लाल

International Journal of Education and Science Research Review
Volume-10, Issue-1 Jan-Feb-2023 E-ISSN 2348-6457 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

असावा को प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी। देशी राज्यों में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की घोषणा और उस पर अमल करने वाला यह पहला राज्य था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल, डॉ. पट्टाभिसीतारमैया, बलवंतराय मेहता, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा तथा हरिभाऊ उपाध्याय आदि ने शाहपुरा नरेश सुदर्शन देव की भूरि–भूरि प्रशंसा की।

इस बात में कोई मीनमेख नहीं कि इन विधानमंडलों को न तो आधुनिक किस्म की संवैधानिक शक्तियां प्राप्त थी और न ही इनका स्वरूप आजकल की विधानमंडलों के समतुल्य था। अधिकतर विधानमंडलों में राजा लोगों के वफादार व्यक्ति ही हुआ करते थे। उनका लक्ष्य राजहित को ध्यान में रखना होता था । राजा स्वयं ही कानून के निर्माता और विधि प्रदाता होते हैं। अतः स्थापित विधानमंडल संगठन, स्वरूप और शक्तियों की दृष्टि से आधुनिक विधानमंडलों के समान नहीं थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की अन्य रियासतों की तरह राजस्थान में भी अनेक लोकप्रिय मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण हुआ परन्तु मार्च 1952 के पहले विधानसभा का गठन नहीं हो सका। अप्रैल 1949 से मार्च 1952 राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस का अंतरिम शासन रहा । इस अवधि में हीरालाल शास्त्री, सी.एम. वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास ने राज्य के शासन की बागडोर संभाली। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में सिद्धराज ढड्ढा, प्रेमनारायण माथुर, वेदपाल त्यागी, रावराजा हणूत सिंह, रघुवरदयाल गोयल, भूरेलाल बया, नृसिंह कछवाहा, फूलचंद बापणा तथा शोभाराम आदि को शामिल किया। कुछ ही समय पश्चात् कांग्रेस में व्यक्तिनिष्ठ गुटबंदी हावी हो गई। प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष गोकुलभाई भट्ट तथा हीरालाल शास्त्री का एक गुट बन गया वहीं जयनारायण व्यास तथा माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में दूसरा गुट उभरकर सामने आया। दोनों गुटों में सत्ता स्वामित्व के प्रश्न को लेकर परस्पर संघर्ष छिड़ गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि जून 1949 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्री शास्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव तक पारित कर दिया। जनवरी 1951 में शास्त्री को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। हालांकि शास्त्री लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे और न ही उन्हें आज के मुख्यमंत्री के समान शक्ति एवं भूमिका प्राप्त थी। भारत सरकार का तत्कालीन रियासती मंत्रालय के दिशा निर्देश द्वारा प्रशासन का संचालन किया जाता था। रियासती मंत्रालय के अध्यक्ष तत्कालीन भारत के उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल थे। राज्य के शासन का संचालन उनके निर्देशन द्वारा चलाया जाता था। शास्त्री के त्यागपत्र देने पर आईसीएस अधिकारी वैंकटाचारी को राज्य का प्रशासन सौंप दिया। वेंकटाचारी के पश्चात् 26 अप्रैल 1951 को

International Journal of Education and Science Research Review
Volume-10, Issue-1 Jan-Feb-2023 E-ISSN 2348-6457 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

राजस्थान के शासन की बागडोर जयनारायण व्यास के हाथों में आ गई। व्यास ने अपने मंत्रिमंडल में टीकाराम पालीवाल, युगल किशोर चतुर्वेदी, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, मथुरादास माथुर, कुम्भाराम आर्य, जसवंत सिंह, बृजसुंदर शर्मा, नरोत्तमदास जोशी तथा अमृतलाल भारत को शामिल किया।

इस मंत्रिमंडल ने राज्य में विधानसभा की स्थापना होने तथा प्रथम आम चुनावोपरान्त बहुमत प्राप्त कांग्रेस दल के नेता के चयन होने तक मार्च 1952 तक कार्य करता रहा। मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने प्रथम आम चुनाव में दो स्थानों से चुनाव लड़ा तथा स्थानों पर पराजित हुए। विधानसभा के सदस्य तक नहीं रहे।

सुशासन वर्तमान समय में एक सुसंगत पद है। भारत ही नहीं समस्त विश्व में श्सुशासनश की अवधारणा लोकप्रिय हो रही है। आम नागरिक अपने दैनिक जीवन सुशासन की अपेक्षा रखता है और इसी की कामना करता है। किसी भी शासन प्रणाली में सुशासन के अपने लाभ है, सुशासन कोई नई तकनीक नहीं है न ही नया पद, यह तो आदिकाल से चला आ रहा शासन का वह दर्शन है जिससे राज्य का काम सुचारू रूप से संचालित होता है। नागरिक बिना भय या परेशानी के अपना दैनिक जीवन आनंदपूर्वक गुजारता है। विश्व में चाहे अन्य विषयों पर शासन या सरकार में मतभेद हो सुशासन को लेकर पूरे विश्व में कहीं कोई शंका या सदेह नहीं है। सुशासन के दर्शन, ध्येय और लक्ष्य में आम नागरिक का हित समाया हुआ है। वर्ष 2013 की वर्ल्ड हैवीनेस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सुखी राष्ट्रों में डेनमार्क, नार्वे और स्वीडेन है, जहां सुशासन है। वहाँ शासक एवं शासित, धनी और निर्धन, शासन और समाज, व्यष्टि और समष्टि के बीच कोई तनाव नहीं है।

साहित्य की समीक्षा

ई—सरकार से तात्पर्य राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सरकार द्वारा इन्टरनेट या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा नागरिकों, उद्योगों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा सूचनाओं व सेवाओं का स्थानान्तरण या आदान—प्रदान करना है। ई—सरकार एक महत्वपूर्ण पद इन्टरनेट के माध्यम से सूचना प्रदान करना। सूचनाओं के इस प्रकार स्थानान्तरण व प्रचार—प्रसार से समय पर सूचनाओं की प्राप्ति, बेहतर सेवा नागरिकों को प्राप्त हो रही है। इस भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उत्पादकता बढ़ेगी तथा कीमतों में सुधार आयेगा। इन सभी कार्यों में नागरिक निर्णय क्षमता भी सम्मिलित होगी। ई—सरकार के प्रभाव से पर्यवेक्षण, योजना, संगठन, समन्वय तथा संतोषप्रद प्रभाविता

दृष्टिगोचर होगें। UNGlobal E-Government Reading Report 2005 के अनुसार 50 देषों के नामों में भारत का नाम नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। जुर्म से समाज में असंतोष बढ़ रहा है। पुलिस का कार्य अपराधियों को पकड़ना तथा कानून तोड़ने वालों व कानून के दबाव के मध्य एक दौड़ है। पुलिस का कार्य जुर्म की तहकीकात किस तरह प्रभावी हो महत्वपूर्ण है। नयी तकनीकों व उनके उपयोग से आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो तथा नागरिकों में पुलिस कार्यवाहियों व कार्य तथा सेवा से किस प्रकार संतोष हो एक महत्वपूर्ण कार्य है। उपरोक्त शोध में पुलिस उत्तरदायित्व तथा उनकी कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई है।

उपरोक्त शोध में यह निष्कर्ष बताया गया है कि पुलिस द्वारा प्रयुक्त उपरोक्त सॉफ्टवेयर अत्यधिक महत्वपूर्ण है।यह उपरोक्त टूल व प्रयोग जागरूकता व उत्तरदायित्व के साथ किया जाये तो इससे अपराध कम होगें। इस टूल को यदि तकनीक से जोड़कर प्रयोग किया जाये तो यह मील का पत्थर साबित होगा।

ई–सरकार से तात्पर्य सरकारी सेवाओं को इन्टरनेट के माध्यम से नागरिकों को पहुँचाना। नागरिकों को बेहतर सेवाऐं प्रदान करना ई–सरकार का मुख्य कार्य है। विभिन्न तकनीकों के माध्यम से सरकारी सेवाओं का विस्तार करना मुख्य उद्देष्य है। विश्वस्तर पर देष के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए यह अतिआवष्यक है।

उपरोक्त शोधपत्र में शोधार्थी ने यह बतलाया है कि संचार, ज्ञान, दत्तों तथा निजी सार्वजनिक साझेदारी को बढ़ावा देना होगा जिससे सम्पूर्ण तत्रं में समन्वय व पारदर्शिता उत्पन्न हो सकें।

उपरोक्त शोधपत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व सेवाओं के बारे में बताया गया है जिससे सरकारी तत्रं पर प्रभाव पड़ा है तथा सेवाऐं बेहतर हुई है लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों की सेवाओं में विस्तार की आवश्यकता है।

क्लॉड कम्प्यूटरींग के द्वारा विभिन्न सेवाओं को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है जिससे एक कम्प्यूटर तत्रं का निर्माण हो सके। सूचनाओं का आदान–प्रदान सभी क्षेत्रों तक हो सके।

Model Police Act 2006 (MPF) have been extended 2016-17. Police Moderisation के लिए 8195.53 करोड़ नॉन प्लान में तथा 3750.87 करोड़ प्लान में 2016–17 तक खर्च किया जायेगा। डच्थ् स्कीम के अन्तर्गत राजस्थान में 2010–11 में 47.88 करोड़ का बजट दिया गया जिसमें से 45.45 करोड़ खर्च किये गये। 2011–12 में 33.17 दिये गये जिसमें से 26.25 करोड़ खर्च किये गये। 2012–13 में 15.88 तथा 60.92 करोड़ दिये गये जिससे पुलिस विभाग में तकनीकों व सुविधाओं का विस्तार किया जा सकें।

उपरोक्त शोधपत्र में कम्प्यूटर की भाषा तथा नागरिकों को उनके क्षेत्र की भाषा के अनुसार सूचनाओं के बारे में चर्चा की गई है। वर्तमान में सरकार द्वारा विभिन्न भाषाओं के प्रयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटर आधारित सेवाऐं प्रदान की जा रही है तथा इससे जागरूकता भी बढ़ी है।

उपरोक्त शोधपत्र में ई–गवर्नेन्स से सम्बन्धित योजनाओं पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार सरकार द्वारा सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी के बेहतर उपयोग से सेवाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है तथा उपरोक्त माध्यम से योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। तकनीकों के उपयोग से आम नागरिकों को बेहतर सेवाऐं प्रदान की जा रही है तथा सेवाओं में निरन्तर विस्तार भी हो रहा है।

उपरोक्त शोधपत्र में इस बात पर बल दिया गया है कि विकसित देषों के अनुसार यदि भारत को भी विकसित बनाना है तो हमें ई–गवर्नेन्स के माध्यम से सूचना व प्रौधोगिकी, इन्टरनेट व अन्य साधनों का बेहतर उपयोग नागरिकों की सेवाओं के लिए करना होगा तथा इन सेवाओं का विस्तार भी करना होगा।

अनुसंधान क्रियाविधि

वर्तमान अनुसंधान से सम्बन्धित साहित्य विभिन्न स्रोतों से संकलित किया गया है जैसे – पुस्तकालय, लेख, वेब ब्राउजिंग, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुत लेख, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में प्रस्तुत लेख आदि। आज एक राष्ट्र के और इसके व्यक्तिगत नागरिक के रूप में हमें भारत की एकता की भावना और इसकी बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहु–प्रजातीय चरित्र को बनाए रखने का प्रण लेना होगा। भारतीय गणतंत्र के सत्तरवें पड़ाव पर खड़े हमें देश की समृद्धि और इसके प्रत्येक नागरिक के साथ–साथ समूची मानवता के कल्याण के प्रति पुनर्समर्पित होना होगा। वस्तुतः इंटरनेट सरकारी दफ्तरों से निकल कर घर तक पहुँच चुका है ऐसे में ई–शासन के जरिये विभिन्न योजनाओं को आम जन तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है।

ई–शासन की व्यवस्था लागू होने से हर व्यक्ति बिना किसी अड़चन के सरकारी योजनाओं के बारे में जान पा रहा है और योजनाओं का लाभ भी आमजन तक पहुँचने लगा है।

राजस्थान का लोकतांत्रिक इतिहास

लोकराज, जनतंत्र, लोक सुखवा और जनकल्याण की दिशा में प्रथम विधानसभा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। परन्तु प्रथम विधानसभा में सत्तापक्ष आंतरिक गुटबंदी से पीड़ित या नेतृत्व के पाले में बार–बार बदले बाते रहे। वहीं नैतिकता और आंतरिक लोकतंत्र को ताक पर रखकर जयनारायण व्यास ने लगभग दो दर्जन विधायकों को दलबदल करवाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। वहीं प्रतिपक्ष में परस्पर एकजुटता और निष्ठा का अभाव था । यदि प्रतिपक्ष एकजुटता का परिचय देता तो सत्तापक्ष, विधायकों को तोड़ने में विफल रहता। सरकार को सदन में कामचलाऊ बहुमत ही मिला था वहीं कांग्रेस दल आंतरिक कलह से ग्रसित था संभव था कि प्रतिपक्ष और अधिक असरदार भूमिका अदा करता था । मारवाड़ में महाराजा हनुवंत सिंह की यदि 1952 में मृत्यु नहीं होती तो राजस्थान की राज्य राजनीति में नया मोड़ देखने को मिलता। ले–देकर मुद्दे की बात यह है कि प्रथम विधानसभा ने राजस्थान के विधायी इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

बारहवीं विधानसभा चुनाव विशिष्ट तथ्य

1. 12वीं विधानसभायी चुनाव में 200 सीटों के लिए चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों (35705 मतदान केन्द्र) पर हाईटेक – प्रक्रिया के चुनाव सम्पन्न करवाया गया। 50 हजार इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग किया गया। चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलट पत्र का प्रयोग किया गया।

2. अब तक हुए ग्यारह विधानसभा चुनावों में इतने अधिक राजनीतिक दलों ने भाग्य ना आजमाया था, 12वीं विधानसभा चुनाव में 35 राजनीतिक दलों ने भाग्य आजमाया।

3. 12वीं विधानसभा चुनाव में 556 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया। 11वीं विधानसभा से 49 कम थे लेकिन 556 में से 13 उम्मीदवार विधानसभा तक पहुँच सके, निर्दलियों की सफलता अच्छी रही ।

4. 12वीं विधानसभा में भाजपा ने वसुन्धरा राजे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा कांग्रेस ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा।

5. तीसरी शक्ति ने राज्य में सेंधमारी का भरसक प्रयास किया लेकिन राज्य में तीसरी शक्ति को कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई ।

6. 12वीं विधानसभायी चुनाव में कांग्रेस ने 18, भाजपा ने 22, इनेलो ने 06 तथा बसवा 08 महिला उम्मीदवार खड़ी की। जिनमें से 12 महिलाएं ही चुनाव जीत सकी।

7. इस विधानसभायी चुनाव में सैनिकों को प्रोक्सी मतदान का अधिकार दिया गया। राज्य में 60,770 सैनिक मतदाता है, जिनमें सर्वाधिक झुंझुनू बिले में इसके बाद अलवर तथा जोधपुर जिले में है।

8. कांग्रेस ने 129 पूर्व विधायकों को पुनः चुनाव मैदान में उतार उनमें से 33 ही जीत कर विधानसभा में पहुँचे। भाजपा ने 30 पूर्व विधायकों को चुनाव मैदान में पुनः आजमाया, उनमें से 12 पुनः चुन लिए गए।

9. 12वीं विधानसभायी चुनाव में मतदान प्रतिशत 67.2 प्रतिशत रहा जो कि पूर्व के चुनावों में सर्वाधिक था ।

10. 12वीं विधानसभायी चुनाव में भाजपा की जीत को प्रतिबद्ध मतदाताओं ने आसन बनाया ही साथ ही किसी विशेष पार्टी के प्रति अप्रतिबद्ध मतदाताओं ने थोक में भाजपा के पक्ष में मतदान किया।

11. अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित 24 सीटों में से 15 सीटें भाजपा को मिली। 14 फीसदी दलित वोट लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भाजपा की मदद की।

12. 12वीं विधानसभायी चुनाव में मतदान दलों का गठन दो मतदानकर्मी गृह बिले से तथा दो मतदान कर्मी दूसरे जिले से मिलाकर किया गया। मतदाता के लिए मतदान केन्द्र पर मतदाता परिचय पत्र दिखाना या पन्द्रह अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाने पर ही मतदान करने की स्वीकृति दी गई।

13. 12वीं विधानसभा में कांग्रेस को 35.64 प्रतिशत तथा भाजपा को 39.20 प्रतिशत वोट प्राप्त किये। वोटों का अन्तर 3.56 प्रतिशत रहा। (देखिए तालिका) दलीय सफलताओं की तुलनात्मक समीक्षा द्य

14. राजस्थान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया।

15. भारतीय जनता पार्टी को 12वीं विधानसभा के चुनाव में सभी क्षेत्रों में बढ़त मिली मगर बड़ा फायदा पश्चिम, मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में हुआ।

16. 12वीं विधानसभा के चुनाव में पारम्परिक मतदाताओं ने अपनी दलीय निष्ठाओं में जबरदस्त परिवर्तन किया।

(अ)	कांग्रेस	153 सीट	44.9%	56 सीट	35.6%
(ब)	भाजपा	33 सीट	33.2%	120 सीट	39.2%
(स)	जद (यू)	33 सीट	1.95%	02 सीट	0.9%
(द)	बसपा	03 सीट	2.25%	02 सीट	3.9%
(य)	माकपा	02 सीट	0.8%	01 सीट	0.8%
(र)	राजद	01 सीट	N.A.	–सीट	–
(ल)	सामाजिक न्याय मंच	–		01 सीट	2.6%
(व)	भारतीय राष्ट्रीय लोकदल	–		04 सीट	2.5%
(श)	लोक जनशक्ति	–		01 सीट	–
(ष)	निर्दलीय	07 सीटें	14.4%	13 सीटें	11.5%

वसुन्धरा राजे सरकार चुनौतियां एवं संभावनाएं

परिवर्तन यात्रा

तत्कालीन प्रदेश भाजपाध्यक्ष वसुन्धरा राजे ने 105 दिन में लगभग 13 हजार कि.मी. की निरन्तर यात्रा कर 831 सभाएं की तथा 185 निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन की हवा बनाने का प्रयास किया। सत्तारूढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार की त्रुटियों को जनता के समक्ष रखा। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को की गई अकाल – सहायता की जानकारी जन–जन तक पहुंचाई। जिसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के मतदातओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान कर भाजपा की जीत को आसान बनाया। इस परिवर्तन – यात्रा के दरम्यान स्थान–स्थान पर स्थानीय वेशभूष अपनाकर राजे ने अपनत्व का परिचय दिया, जैसे देश वैसा भेस । मत्स्य क्षेत्र (अलवर भरतपुर धौलपुर आदि) में तो घर की बहू का नारा बुलन्द किया गया।

महिला नेतृत्व

प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में वसुन्धरा राजे ने 08 दिसम्बर 2003 को शपथ ग्रहण की। 1952 के प्रथम विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में कोई महिला नहीं पहुंची थी बाद में उप–चुनाव में दो महिलाएं

विधानसभा में पहुंची वहीं 12वीं विधानसभा चुनाव में राज्य का नेतृत्व महिला को करने का अवसर उपलब्ध हुआ और 12वीं विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी सर्वसम्मति से महिला सुमित्रासिह चुनी गई।

राजे–मंत्रिमंडल

वसुंधरा राजे ने अपने मंत्रिमंडल को अत्यन्त लघु आकार में रखते हुए नौ मंत्रियों गुलाबचंद कटारिया, घनश्याम तिवाड़ी, प्रो. सांवरलाल जाट, मदन दिलावर, मदन दिलावर, नरपसिंह राजवी, डॉ. करोड़ीमल मीणा, कनकमल कटारा, मोहम्मद युनूस खान तथा प्रभुलाल सैनी को शामिल किया गया। संविधान संशोधन हो जाने से अब मंत्रिमंडल 15 प्रतिशत से अधिक बड़ा नहीं रखा जा सकेगा। अतः मंत्रिमंडल का भावी समय में सीमित ही रहा वसुन्धरा राजे ने मुख्यमंत्री बनते ही सौ दिन में परिवर्तन लाने की कवायद शुरू कर दी।

चुनौतियां

वसुन्धरा राजे सरकार के समक्ष कुछ चुनौतियां बहुत बड़ी थी। राज्य पर लगभग 53 हजार करोड़ रुपए का कर्जा था। पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सरीखी बुनियादी जरूरत मुंह बायें खड़ी थी। बेरोजगारों के लिए रोजगार का प्रबन्ध करना, राज्य–कर्मचारियों को नई सरकार से कई आशायें थी। यानि यह वर्ष 2004 प्रदेश के लिए चुनाव वर्ष रहा उसमें नेतृत्व की अनि– परीक्षा था। वहीं मंत्रिमंडल की संख्या सीमित रखते हुए सभी को साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती थी । 14वें लोकसभायी चुनाव में प्रदेश में भाजपा को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई, जो भाजपा दल के लिए रिकार्ड उपलब्धि थी। परन्तु केन्द्र में भाजपा की सरकार नहीं बनने से केन्द्र–राज्य संबंध में तनाव आना स्वाभाविक था । वसुन्धरा राजे सरकार को आर्थिक कार्यक्रमों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा ।

वसुन्धरा राजे का सुशासन

- शासन की प्राथमिकता बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, बुनियादी ढाचा, स्वास्थ्य एवं वित्तीय प्रबन्धन में सुधार।
- भूख, कुपोषण, भुखमरी, घोर गरीबी एवं निम्न स्तर का उन्मूलन करनां
- रोजगार, रोजगार सृजन आर्थिक स्थिति में सुधार

- आधारभूत ढांचे का निर्माण मानव संसाधन का विकास, क्षमता एवं सृजन
- राजकोषीय सुधार एवं शासन में गुणवत्ता लाना
- वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देना ।
- जन – समस्याओं का निवारण जनता दरबार के माध्यम से किया गया।
- जनता से जुड़ाव मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्यक्रम रहा ।
- उदीयमान राजस्थान समृद्ध राजस्थान का आदर्श लेकर वसुन्धरा राजे ने सुशासन का अंजाम दिया।

13वीं विधानसभा चुनाव एवं भूमिका

प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव का विशेष महत्व है, भारत जैसे विशाल देश में चुनाव निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया बन गया है, कुछ लोग भारत को श्चुनावों का देशश कहने लगे हैं, राजस्थान में प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए, उनके बाद 13 विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। 13वे विधानसभा चुनावों में राज्य को एक अल्प–बहुमत सरकार मिली। चुनाव – परिणाम में कांग्रेस पार्टी बहुमत के पास आकर अटक गई वहीं पूर्व सत्तारूढ़ भाजपा सरकार जो सत्ता में लौटना श्गारन्टी पीरियडश मानकर चल रही थी, चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा।

13वीं विधानसभा से पूर्व कांग्रेस ने नारा दिया श्न रूकेगा राजस्थान और भाजपा ने न झुकेगा राजस्थान परन्तु मतदाताओं ने दोनों पक्षों को लगभग नकार दिया।

12वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। पराजय के तुरन्त बाद अशोक गहलोत ने कहा कि हर गलती कीमत मांगती है।श 12वीं विधानसभा में कांग्रेस की पराजय के कारण में निम्न तथ्य गिनाये जा सकते हैं रू–

1. ईवीएम का पहली बार प्रयोग ।
2. राज्य कर्मचारियों की भारी नाराजगी ।
3. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार न मिलना ।

4. महिला मतदाताओं को रिझाने में भाजपा सफल रही।

5. कांग्रेस दल की आपसी फूट, बागियों की भरमार ।

6. आरक्षण आंदोलन एवं जाट – मुख्यमंत्री के मुद्दे पर विवाद ।

7. लगातार अकाल एवं सूखे की स्थिति ।

13वीं विधानसभा के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया जारी करते हुए श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि ष्जनता का निर्णय शिरोधार्य है, मैं तहेदिल से जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। इन दोनों ही व्यक्तियों में श्उत्तरदायित्वश की जबरदस्त स्वीकारोक्ति है। 13वीं विधानसभा में भाजपा के पराजय के कई कारण गिनाये जा सकते हैं, जैसे

1. भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में आपसी फूट ।

2. 13वीं विधानसभा में टिकट बंटवारे में मनमुटाव एवं आपाधापी ।

3. संगठन एवं कार्यकर्ताओं में दूरी ।

4. गुर्जर आन्दोलन एवं गोलीकांड

5. सरकार की आबकारी नीति ।

6. बोर्डर बिक्री का मामला ।

7. सेज एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना पर असंतोष

8. मुख्यमंत्री की श्महारानी छवि का महिमामंडन ।

13वीं विधानसभा के चुनाव प्रचार में कांग्रेस तथा भाजपा दलों की ओर से जो शब्दावली और शैली काम में ली गई, वह भी ज्यादा शुभकारी नहीं थी । छिछले शब्दों एवं स्तरहीन शब्दों का दोनों ही दलों ने भरपूर इस्तेमाल किया । कुछ दुष्टान्त देखिए भाजपा की ओर से कांग्रेस पर निशाने साधते हुए कहा गया–

विरोधियों का नेता कौन, कांग्रेस मौन" (घोषणापत्र के मुख पृष्ठ पर टिप्पणी) बिना दूले की बारात (मुख्यमंत्री नाम प्रोजेक्ट न करने पर) बेबस और लाचार कटोरा सरकार (पूर्व सरकार की कार्यशैली पर) जनपथ की अर्दली की प्रतिज्ञाएंष (घोषणा पत्र पर)सोनिया गांधी के हुक्म (उम्मीदवारों की सूची पर) कांग्रेस की ओर से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा– • बड़े हुक्म की सरकार"दारू की दुकानदारी कुशासन एवं भ्रष्टाचारी सरकार इन वाक्यांशों से ही स्पष्ट है कि राजनीति के तहजीब की सारी सीमाएं और भाषा की सारी वर्जनाएं तोड़ी गई। सजीदा एवं साफ–सुथरा अब कम ही देखने को मिलता है। यहां तक कि वयोवृद्ध नेताओं को श्खंडहरश कहा गया । 12वें विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने वाले दलों की संख्या 34 थी जो कि 13वीं विधानसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 47 हो गई यानि कि 13 दलों की बढ़ोतरी हुई जबकि चुनाव में सफलता केवल आठ दलों को ही हासिकल हुई। 13वीं विधानसभा में कांग्रेस ने सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जबकि बसपा ने 199 स्थानों पर एवं भाजपा ने 193 स्थानों पर चुनाव लड़ा और 07 स्थान अपने सहयोगियों के लिए छोड़े। 13वीं विधानसभा के चुनाव में बगीचा बिगाड़ने में कामयाब रहे। कांग्रेस और भाजपा दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया। श्हारो – हराओ, सबक सिखाओं की नीति लेकर चुनाव मैदान में उतरे तथा उन्होंने दल के अधिकृत उम्मीदवार को हराने में पूरी ताकत झोंकी न कि स्वयं के जीत के लिए। मुम्बई के ताज होटल पर हुए आतंकी हमले को भुनाने के अथक प्रयास किए गए लेकिन वह मुद्दा कोई प्रभाव नहीं छोड़ सका और न ही मंदी और मंहगाई राजस्थान के मतदाता को ज्यादा प्रभावित कर सकी।

13वीं विधानसभा में माकपा के तीन विधायक यथा प्रेमाराम धोद, अमराराम दातारामगढ़, पवन दुग्गल – अनूपगढ़ से जीते। सीकर जिले से दो माकपा विधायक चुन कर आए। श्री गंगानगर जिले से एक माकपा विधायक चुनाव जीतकर आया। जबकि 12वीं विधानसभा में माकपा का केवल एक ही विधायक चुना गया था। 13वीं विधानसभा में पहली बार समाजवादी पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल की। सपा के सूरजभान धानका (राजगढ़–लक्ष्मणगढ़) से विधायक चुने गए। वहीं रामस्वरूप कसाणा (कोटपुतली) से जीतकर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी सपा) का खाता खोला। उमा भारती की लोकजनशक्ति पार्टी तथा रामविलास पासवन पार्टी श्लोजपाश ने बड़ी संख्या में उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन सफलता नहीं मिली।

13वीं विधानसभा के चुनाव परिणामों में महिला प्रतिनिधित्व की दृष्टि से नया इतिहास रचा गया। 154 महिलाओं ने भाग्य आजमाया उनमें से 28 महिलाएं (14 प्रतिशत) विधानसभा तक पहुंची। कांग्रेस और भाजपा 13–13 एवं 02 निर्दलीय रूप में महिलाएं जीती। वही शैक्षणिक योग्यता की उत्कृष्टता से यह अहसास करवाया कि

राजस्थान की महिलाएं पुरुषों से किसी भी रूप में पीछे नहीं है। कांग्रेस दल को 13वीं विधानसभा चुनाव परिणामों में बढ़त भले ही हासिल हो गई हो लेकिन संगठन के दृष्टिकोण से देखे तो सभी प्रमुख पदाधिकारी चुनाव हारे । कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर संगठनों के अध्यक्ष एवं चुनाव के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष तक चुनाव हार गए। कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी ने श्एक वोट से पराजित होकर श्मत की अमूल्य कीमत को जाना और 1952 में भैरवलाल कालाबादल के दो वोट से हारने के इतिहास को नए सिरे से दोहराया। 13वीं विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने एक सांसद (करणसिंह यादव) तथा भाजपा ने पांच सांसद (रघुवीरसिंह कौशल, निहालचंद मेघवाल, श्रीचंद कृपलानी, घनसिंह रावत तथा श्रीमती किरण माहेश्वरी) को चुनाव में उतारा। इनमें से केवल श्रीमती किरण माहेश्वरी ही चुनाव जीत सकी। परिसीमन के बाद पहली बार सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा यह रहा कि उम्मीदवार यदि विधानसभा क्षेत्र का नहीं है तो श्बाहरीश या श्पैराशूटीश उम्मीदवार कहकर कांउटर अटैक के रूप में श्बागीश खड़े किए और बागियों की संख्या कांग्रेस तथा भाजपा में लगभग बराबर थी। लगभग 20 स्थानों पर कांग्रेस तथा भाजपा का सीधा मुकाबला निर्दलीय बागियों से हुआ। 14 निर्दलीय चुनाव जीतकर आए उनमें से आधे श्बागीश थे। हार–जीत के सारे गणित को बागियों ने प्रभावित किया।

13वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के अलावा तीसरे मोर्चे के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। अशोक गहलोत ने एक सौ तथा भाजपा वसुन्धरा राजे ने 67 चुनावी सभाओं को सम्बोधित कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। भाजपा का प्रचार करने के लिए देश के कई दिग्गजों ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया जिसमें लालकृष्ण आडवानी ने 14, राजनाथ सिंह ने 28, नरेन्द्र मोदी ने 20 तथा वैंकेया नायडू ने 3 सभाओं को संबोधित किया। सिने स्टारों में हेमामालिनी, शत्रुघ्न सिंहा, नवजोत सिंह सिद्धु, स्मृति ईरानी ने प्रचार किया । कांग्रेस का प्रचार करने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई। सोनिया गांधी ने 4, मनमोहन सिंह ने 2, राहुल गांधी ने 8, नमोनारायण मीणा ने 5 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सिने सितारों में सेलिना जेटली, चंकी पांडे, शक्ति कपूर, जीनत अमान तथा असरानी ने कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। राजस्थान के साथ मध्यप्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ तथा मिनोरम विधानसभाओं के चुनाव सम्पन्न हुए। राजस्थान तथा मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में जहां पूर्व की सरकारें पुनः सत्ता में लौटी, वहीं राजस्थान एवं मिजोरम में सत्ता का परिवर्तन हुआ। 2003 में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में तीन राज्यों यथा राजस्थान, दिल्ली तथा मध्यप्रदेश में नेतृत्व महिलाओं को सुपुर्द किया गया था यथा राजस्थान में वसुन्धरा

राजे, दिल्ली में शीला दीक्षित तथा मध्यप्रदेश में उमा भारती। 2008 के विधानसभा चुनाव में केवल शीला दीक्षित ही पुनः मुख्यमंत्री बन सकी ।

12वीं विधानसभा में 2204 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए उनमें से 210 प्रत्याशियों के नामाकंन पत्र रद्द हुए, 453 ने नामांकन वापस लिये। कुल 1541 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जिनमें 1423 पुरुष तथा 118 महिलाएं थी । जबकि 13वीं विधानसभा में 3182 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। 310 नामांकन पत्र रद्द हुए, 678 नामांकन पत्र वापस लिए गए। कुल 2194 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जिनमें 2040 पुरुष तथा 154 महिलाएं थी । 13वीं विधानसभा में 108 नए सदस्य चुनकर आये यानि 54 प्रतिशत सदस्य पहली बार विधानसभा में पहुँचे हैं। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे चुनाव– प्रचार पर हावी नहीं रहे, प्रचार केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की नीतियों पर आधारित रहा। छाया – मंत्रिमंडल, विधानपरिषद् की स्थापना, स्थानीय स्वशासन निकाय में 50 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण, जननी सुरक्षा, नव प्रसूता को पांच किलो घी देने की योजना आदि का व्यापक प्रचार हुआ। किसान की परिभाषा को जातिगत मुद्दे से जोड़ने का भरसक प्रयास किया गया । प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में राजस्थान के दो मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश में जन्मे हैं– वसुन्धरा राजे (मुम्बई) तथा शिवचरण माथुर (गुना–मध्यप्रदेश) वहीं मध्यप्रदेश को राजस्थान ने चार मुख्यमंत्री दिए हैं– प्रकाशचन्द्र सेठी (झालावाड़), वीरेन्द्र कुमार सकलेचा (नागौर), मोतीलाल वोहरा (फलोदी) और सुन्दरलाल पटवा (जैसलमेर) । 13वीं विधानसभा में मजबूत प्रतिपक्ष मौजूद था। वहीं प्रथम बार निर्वाचित होने वाले 54 प्रतिशत से अधिक सदस्यों को सदन की परम्पराओं और प्रक्रियाओं से अवगत कराना एवं अनुशासनबद्ध रखना भी पीठासीन अधिकारी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था।

लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सदन में सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभावी प्रतिपक्ष हो । जो श्जनता की आवाजश शासन तक पहुँचाए और सत्तारूढ़ सरकार की कमजोरियों और लुप्तियों को आमजन के समक्ष स्पष्ट करें। तेरहवीं विधानसभा में एक ओर सदन में मजबूत प्रतिपक्ष था वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के पास भी सामान्य बहुमत था, आषे से अधिक सदस्य नवनिर्वाचित थे, पहली बार चुन कर सदन में आए थे। अतः कांग्रेस सरकार के समझ चुनौतियां कम नहीं थी । गहलोत – सरकार का सुशासन (पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओं, वृक्ष लगाओं, बेटी बचाओ) संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ गहलोत सरकार ने पांच में प्रदेश के बहुआयामी विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयास किये। प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, पशुपालन, सहकारिता,

रोजगार आदि में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। गहलोत सरकार ने आमजन के लिए प्रदेशों में 11 फ्लेगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यक और आम आदमी के हितों को प्राथमिकता दी। साथ ही किसानों, पशुपालकों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और विशेष योग्यजन के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये। गहलोत सरकार ने सुशासन के लिए अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करवाया जिनमें प्रमुख है रू–

1. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा जांच योजना
2. मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना ।
3. मुख्यमंत्री ग्रामीण इझडआवास योजना राजस्थान विशेष आवास योजना
4. राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना ।
5. मुख्यमंत्री शुभ –लक्ष्मी योजना ।
6. मुख्यमंत्री इझडजीवन रक्षा कोष ।
7. मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना ।
8. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना
9. राजस्थानी ग्रामीण सड़क विकास योजना ।
10. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना ।
11. राजीव गांधी विद्यार्थी डिजिटल योजना ।
12. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना ।
13. राजस्थान लोकसेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011
14. सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012

15. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

अन्य–

- महात्मा गांधी नरेगा योजना का विस्तार
- फसल बीमा योजना
- मुख्यमंत्री बिजली बचत लैम्प योजना
- बालिका साईकिल वितरण
- अनुप्रति योजना विस्तार
- महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज की बस के किराये में 30: छूट ।
- प्रशासन शहरों के संग अभियान
- प्रशासन गांवों के संग अभियान।

स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाकि ष जब हम प्रगति की बात करते हैं तो उसका अर्थ समावेशी विकास एवं सबके हित में निहित है। हम जब योजना बनाते हैं तब विकास का मतलब उस आम आदमी तक लाभ पहुंचाना होता है जो अपने लिए घर नहीं बना सकता, अपने प्रियजन के इलाज पर खर्च नहीं उठा सकता या फिर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाने में स्वयं को अक्षम पाता है। इसलिए हमने पहली बार खाद्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, ऋण ब्याज मुक्ति और पशु स्वास्थ्य सुरक्षा की महत्ती योजनायें लागू की, जो जिंदगी की राह को आसान बना रही है।

निष्कर्ष

सुशासन वर्तमान समय में एक सुसंगत पद है। भारत ही नहीं समस्त विश्व में श्सुशासनश की अवधारणा लोकप्रिय हो रही है। आम नागरिक अपने दैनिक जीवन में सुशासन की अपेक्षा रखता है और इसी की कामना करता है। किसी भी शासन प्रणाली में सुशासन के अपने लाभ है, सुशासन कोई नई तकनीक नहीं है न ही नया पद, यह तो आदिकाल से चला आ रहा शासन का वह दर्शन है जिससे राज्य का काम सुचारू रूप से संचालित होता है। अतः सुशासन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा पाना संभव नहीं होता है; जैसे – अफगानिस्तान,

पाकिस्तान, ईराक व सूडान । विकासशील देशों में निर्धनता की वजह से सुशासन जैसी अवधारणा को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी होती है, जैसे– सूडान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया । कुछ देशों में लोकतंत्र की निरंतरता में कमी देखी गई है। अतः इसका सुशासन पर अनिवार्य रूप से दुष्प्रभाव पड़ा है, जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, फ़िज़ी एवं लीबिया । इन देशों में सुशासन के लिए आवश्यक कानूनी परिवेश देशों में आतंकवाद, नक्सलवाद माओवाद व साम्प्रदायिकता आदि के कारण सामाजिक अस्थिरता की स्थितियां बनी हुई हैं। साथ ही इन देशों में मानव संसाधनों की अत्यधिक कमियां व्यास है। अतः सुशासन को लागू करना एक कठिन कार्य है।

सन्दर्भ–ग्रन्थ सूची

---

1. राजस्थान का राज्य – प्रशासन, अंतरसिंह, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
2. भारत में राज्यों की राजनीति, डॉ. उम्मेदसिंह इन्दा, आर. बी. एस. ए., जयपुर
3. राज्य – प्रशासन, पत्रिका ईयर बुक, 2013, जयपुर
4. राजस्थान की राजनीति, विजय भंडारी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली
5. विधानबोधनी, जयपुर 1997
6. विधानबोधनी, स्वर्ण जयन्ती विशेषांक, पू. 197
7. चतुर्थ राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर
8. पंचम राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर
9. षष्ठ राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर
10. सप्तम् राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर
11. अष्टम् राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर

12. नवम् राजस्थान विधानसभा सदस्यों का जीवन परिचय ग्रंथ, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर